न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2024

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. बाबूलाल पुत्र पुरखाराम 2. जसनाथ पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी– घडोई नाडी, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा 2. तगाराम पुत्र हेमाराम 3. दुर्गाराम पुत्र हेमाराम 4. लाखाराम पुत्र गेनाराम 5. रामाराम पुत्र गेनाराम जाट निवासी– घडोई नाडी, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा कैम्प कोर्ट में प्रकरण संख्या 44/2017 अनवान तहसीलदार, पचपदरा बनाम बाबूलाल, जसनाथ पुत्र पुरखाराम, तगाराम, दुर्गाराम पुत्र हेमाराम, लाखाराम, रामाराम पुत्र गेनाराम वगैराह में दिनांक 19.04.2018 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28 जनवरी, 2025

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें ग्राम घडोई नाडी तहसील पचपदरा के विभिन्न खसरा की भूमि में से मौके पर जो भूमि चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते की पाई गई, को राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शें में अंकन किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के संलग्न उल्लेखित खसरान की भूमि के नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 19.04.2018 को पारित कर दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.03.2019 को पेश की है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2019 के अनुसार यह कथन किया कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी तब हुई जब दिनांक 25.02.2019 को पटवारी हल्का मौके पर आये तथा नाप करने लगे तब अपीलांट को पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलांट की भूमि में से रास्ता खोलने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त जानकारी देने पर अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति अधिनस्थ न्यायालय से दिनांक 27.02.2019 को प्राप्त करते हुए यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त मियाद प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2019 को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया गया। अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है। जब प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था एवं पक्षकारान की तरफ से उनके अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी की जा रही थी तथा नियमित रूप से पेशीयां पड रही थी तब पत्रावली को अकस्मात कैम्प कोर्ट में ले जाकर बिना सुनवाई के निर्णित कर दिया गया, जो कि विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। राज्य सरकार द्वारा जो शिविर आयोजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया, उसकी मंशा यह कतई नहीं थी कि पक्षकारान के बीच न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को शिविरों में ले जाकर प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जावे। इस प्रकार जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक आंकडे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से न्यायालय के लम्बित प्रकरणों को भी कैम्प कोर्ट में ले जाकर मनमाने ढंग से निर्णय कर दिया गया था।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण, जो कि भूमि के अभिलिखित खातेदार है, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन एवं चिन्तन किया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया जिससे यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पचपदरा के द्वारा धारा 130,131 एवं 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किये गये उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2018 को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरा नम्बर भूमि के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण पेश किये जाने पर पर हम अपीलान्टस की ओर से लिखित में प्रार्थनापत्र पेश कर आपत्ति की गई थी कि उक्त गैर मुमकीन रास्ते के लिये हम सभी खातेदारों की सहमति नहीं है तथा हम अपीलान्ट अपने–अपने खेत की भूमि की तरमीम के सहारे–सहारे रास्ता देने को तैयार है परन्तु उक्त आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कन्सीडर नहीं किया गया तथा न ही अपीलाधीन आदेश में भी इसका कोई अंकन किया गया और न ही उसके अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस की ओर से दिनांक 23.01.2017 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में हमारें विनम्र मत मे अपीलान्टस की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2018 को अपीलान्टस के खसरा नं. 391/17 की भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर अपीलान्टगण को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2018 को अपीलान्ट के खसरा संख्या 391/17 की भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्टगण को सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर